Estd. 1863

पटना कॉलेज

स्थापित : 9 जनवरी 1863 ई०

155th Glorious Year

विवरण-पत्रिका

PROSPECTUS - 2017

प्राचार्य

प्रोफेसर सुरेन्द्र मोहन अशोक

दूरभाष संख्या- 0612-2671589 (कार्यालय)

Website : www.patnacollege.org

प्राचार्य का संदेश

नये शैक्षणिक सत्र (2016–17) में आप सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों एवं अभिभावकों का पटना कॉलेज के प्रांगण में स्वागत है। पटना कॉलेज अपने अस्तित्व का 154वां वसन्त पार कर चुका है। बिहार राज्य की स्थापना के लगभग 50 वर्ष पूर्व ही कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी और तभी से यह कॉलेज ज्ञान का ज्योतिर्मय केन्द्र रहा है। यह कॉलेज बिहार की प्रतिभा का पालना रहा है। इस प्रांगण में शिक्षा ग्रहण कर दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ने वाले पूर्ववर्त्ती छात्रों में डॉ० सच्चिदानन्द सिन्हा, डॉ० श्रीकृष्ण सिंह, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, डॉ० अनुग्रह नारायण सिंह, सर सुलतान अहमद, महान इतिहासकार डॉ० रामशरण शर्मा और डॉ० यदुनाथ सरकार जैसी प्रतिभाएँ शामिल हैं। भारत की प्रशासनिक सेवा में ब्रिटिश काल से ही यहां के छात्रों का वर्चस्व रहा है। यह कॉलेज सही अर्थों में बिहार की प्रतिभा की राजधानी है। इस कॉलेज में नामांकन का अर्थ है कि आपके व्यक्तित्व में चमक का आना निश्चित है। लेकिन इस चमक के लिए छात्रों का छात्र जीवन के मौलिक आदर्शों का पालन करना भी अनिवार्य है। ये आदर्श हैं: कठिन परिश्रम, अनुशासन, संयमित जीवन शैली, बड़ों का सम्मान और धैर्यवान होना। ये पंच मंत्र ही सफलता के सूत्र हैं।

प्रतिवर्ष नये सत्र में नये छात्रों का आगमन होता है। उनके लिए यहां नामांकन पाना ही सफलता का प्रथम सोपान है। लेकिन इस कॉलेज के नियमों का पालन करना दूसरा सोपान होगा। आप नियमित और संयमित होकर अध्ययन करें, यही मेरी अभिलाषा है और आपकी सफलता हेतु मेरी शुभकामनाएँ हैं।

यह कॉलेज सह–शिक्षा का भी बिहार में सबसे पुराना केन्द्र है। इस प्रांगण में छात्रों एवं छात्राओं को समान रूप से अभिव्यक्ति और विकास का अवसर मिलता है। यहां पर इनके लिए अलग–अलग सामान्य कक्ष है, जहां वे सामाचार पत्रों और विविध पत्रिकाओं का अध्ययन उस समय कर सकते हैं जब वर्ग नहीं चल रहा हो। कॉलेज के खुले मैदान में चलना अनुशासनहीनता है। आप कॉलेज द्वारा दिए गए पहचान पत्र को सदैव अपने पास रखें। हम सभी शिक्षकगण आपकी प्रतिभा को निखारने की अभिलाषा रखते हैं। यह आप पर निर्भर करेगा कि आप अपने शिक्षकों के ज्ञान का कितना लाभ उठाते हैं।

वर्तमान बिहार तीव्रता से विकास की ओर अग्रसर है। इसमें पटना कॉलेज की अपनी भूमिका है। बिहार का निर्माण, भारत की स्वतंत्रता, सम्पूर्ण क्रान्ति या फिर युद्ध और आपदा ही क्यों न हो, पटना कॉलेज की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर सदैव रही है। कॉलेज की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पहचान को अक्षुण्ण रखना मेरी दृष्टि में आज के शिक्षकों और छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें अभिभावकों की भी बड़ी भूमिका है। मैं अभिभावकों से भी आग्रह करता हूँ कि आप समय–समय पर कॉलेज में आकर अपने विद्यार्थी की गतिविधियों की जानकारी लें। कॉलेज प्रशासन आपके सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेगा। शिक्षक, छात्र एवं अभिभावक के परस्पर आकर्षण और सहयोग से गंगा के पावन तट पर अवस्थित यह कॉलेज संगम जैसी पवित्रता को कायम रख सकता है। मैं, एक प्राचार्य के रूप में, स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस कॉलेज के प्रांगण में उन छात्रों के लिए कोई जगह नहीं है जो शिक्षा प्राप्त करने के आदर्शो का पालन नहीं करेंगे। नये विद्यार्थी और उनके अभिभावक इन तथ्यों को ध्यान में रखकर ही इस कॉलेज में नामांकन कराएँ। पटना कॉलेज प्रशासन जनतांत्रिक एवं मानवीय मूल्यों तथा उच्च आदर्शों में विश्वास रखता है। मैं विशेष रूप से इन मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति समर्पित हूँ। मैं आशा करता हूँ कि पटना कॉलेज के विद्यार्थी अपने जीवन में इन मूल्यों एवं आदर्शों को अपनाएंगे और एक बेहतर समाज बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे।

नये और पुराने सभी छात्रों की सफलता कॉलेज के हर शिक्षक और कर्मचारी की कामना है। आपका निखरता हुआ व्यक्तित्व ही बिहार और भारत की अस्मिता को नई पहचान दे सकता है। मैं आशावादी हूँ और पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि इस कॉलेज के छात्र कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कॉलेज की छवि धूमिल हो।

एक बार पुनः शुभकामनाओं के साथ पटना कॉलेज के प्रांगण में आप सबों का स्वागत है।

प्रोफेसर (डॉ०) सुरेन्द्र मोहन अशोक
प्राचार्य

कॉलेज का संक्षिप्त इतिहास

1863 ई० में स्थापित पटना कॉलेज बिहार राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रदान करनेवाली सबसे पुरानी संस्था है। इसने राज्य के जन–जीवन पर उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। पटना के प्रायः सभी प्रमुख कॉलेज – पटना लॉ कॉलेज, बिहार कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग (वर्त्तमान एन.आई.टी.), पटना सायंस कॉलेज तथा वाणिज्य महाविद्यालय का जन्म इसी संस्थान से हुआ है। पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी, 1863 ई० को हुई थी। इस महाविद्यालय के इतिहास में बीसवीं सदी के शैक्षिक आदर्शों का विनियोग हुआ। इसके अनुसार इस आदर्श कॉलेज को स्वतःपूर्ण संस्था के रूप में अपने सदस्यों को पूर्ण एवं अनेकपक्षीय–बौद्धिक, सामाजिक विकास करना था। इन्हीं आदर्शों से इस कॉलेज का स्वरूपगत भावी इतिहास अपना आकार ग्रहण कर सका।

वर्षों तक पटना कॉलेज बिहार में स्नातकोत्तर (कला) शिक्षण की एकमात्र संस्था के रूप में प्रतिष्ठित रहा। मुजफ्फरपुर तथा राँची में सरकारी महाविद्यालयों की स्थापना के बाद भी इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए यह महाविद्यालय अग्रणी शिक्षण–संस्थान बना रहा और इसने अपनी अनेक शानदार परम्पराएँ कायम कीं।

2 जनवरी, 1952 ई० को पुराने पटना महाविद्यालय का पटना विश्वविद्यालय एवं बिहार विश्वविद्यालय नामक दो विश्वविद्यालयों में पृथक्करण होने के बाद इस कॉलेज के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण परिर्वतन हुआ। जनवरी, 1952 ई० तक यह सरकारी कॉलेज था तथा स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करता था, किन्तु बाद में यह पटना विश्वविद्यालय का अंगीभूत महाविद्यालय बन गया और केवल स्नातक शिक्षण के लिए ही उत्तरदायी रहा क्योंकि स्नातकोत्तर शिक्षण का भार विश्वविद्यालय ने स्वयं ले लिया। सहशिक्षा की दृष्टि से पटना विश्वविद्यालय के कला–संकाय में यह सर्वाधिक लोकप्रिय कॉलेज अद्यावधि बना हुआ है।

दो वर्षों के अनन्तर सम्मान–शिक्षण का केन्द्रीकरण हो जाने पर सभी कला विषयों के सम्मान–वर्ग इसी कॉलेज में होते रहे। सम्मान–शिक्षण का प्रशासन अधिष्ठाता, कला–संकाय के द्वारा होता था, जो इन वर्गों में पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों के सभी महाविद्यालयों के अनुभवी शिक्षकों का मनोनयन करते थे। प्रथम दो घंटियों में अन्य कॉलेज के कला–विषयों के सम्मान–वर्गों के छात्र भी इसी महाविद्यालय में पढ़नें के लिए आते थे।परन्तु छात्र–छात्राओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण आठवें दशक के अन्त होते–होते विभिन्न कला विषयों के सम्मान–वर्ग सभी सम्बद्ध कॉलेजों में ही होने लगे। यद्यपि 1957 ई० में भूगोल, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान विषयों को छोड़कर सभी स्नातकोत्तर विभाग दरभंगा हाउस भवन में स्थानांतरित हो गये तथापि पटना कॉलेज के कई शिक्षक अब भी स्नातकोत्तर शिक्षण के दायित्व का वहाँ के विभिन्न विभागों में जाकर वहन करते आ रहे हैं। इतिहास एवं भूगोल की पढ़ाई में इन विषयों के स्नातकोत्तर

शिक्षक भी पटना कॉलेज में वर्ग लेते हैं। पाठेत्तर कार्य–कलापों की व्यवस्था में तो शायद ही कोई परिवर्तन हुआ हो। अधिकांश पुरानी परिषदें, क्लब तथा छात्रावास अब भी इसी कॉलेज के प्राचार्य के अधीन है।

बीसवीं सदी के प्रारंभ से ही इस कॉलेज का यह समवेत जीवन सतत विकसित होता रहा है। सम्प्रति इसके आवासीय जीवन का प्रतिनिधित्व पाँच छात्रावासों – मिन्टो छात्रावास, जैक्सन छात्रावास, इकबाल छात्रावास, नूतन छात्रावास तथा गंगा छात्रावास (छात्राओं के लिए) द्वारा होता रहा है जिनमें इस कॉलेज के लगभग 450 विद्यार्थी निवास करते हैं। 9 सितम्बर, 1974 ई० को वाणिज्य विभाग पटना कॉलेज

से अलग कर दिया गया और इसने वाणिज्य महाविद्यालय का रूप ले लिया। सम्प्रति यह महाविद्यालय पटना कॉलेज के प्रांगण में ही अवस्थित है।

पटना कॉलेज की 150 वर्षों से अधिक की सुदीर्घ समृद्ध परम्परा रही है। बिहार राज्य का यह प्रथम कॉलेज है, जिसे 1963 ई० में ही शताब्दी–समारोह मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस सारस्वत अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन ने आशीर्वचन दिया था। यह कॉलेज अध्ययन और विद्वता, चरित्र और संस्कृति, व्यवस्था और अनुशासन तथा उत्कृष्ट विधिवेताओं और पत्रकारों, सुविख्यात वकीलों एवं चिकित्सकों तथा सुयोग्य प्रशासकों और पदाधिकारियों का पोषण–केन्द्र रहा है। बिहार में जो कुछ भी उत्तम और महान है, उसमें से अधिकांश का उत्स यहीं से फूटा है और यहीं पोषण भी हुआ है।

'सत्यान्वेषण' के लक्ष्य को सिद्ध करने में इसके छात्र एवं विभिन्न विभागीय सदस्य एक साथ दत्तचित्त हैं। यह भाईचारे का ही एक दूसरा आदर्श रूप है। इस कॉलेज से निकले छात्रों में से कुछ इस देश के सर्वोत्तम युवाओं में से सिद्ध हुए हैं। अपने उच्च शैक्षणिक स्तर के कारण यह एक महान शिक्षण संस्थान है और इससे सम्बद्ध होना ही गौरव का विषय रहा है। यह एक महान् संकल्प का द्योतक है और महान आदर्शों का मूर्त्त स्वरूप है।

'पटना कॉलेज' प्रसिद्ध लेखक स्व० ई० एम० फोस्टर की प्रसिद्ध पुस्तक 'ए पैसेज टू इंडिया' का अभिन्न अंग रहा है। इसके पूर्वी–पश्चिमी भागों में बने छायापथों को, जो सामान्य कक्ष एवं पुरातन कक्ष की प्रायः सभी वर्ग–कक्षाओं को सम्बद्ध करते हैं, विश्वविख्यात चलचित्र–निर्देशक **सत्यजीत रे** ने न केवल अपने रंग–ढंग में सर्वोत्तम माना है, बल्कि अपने बंगला चलचित्र **'सीमाबद्ध'** में उनकी सुछवि को स्थान भी दिया है।

पटना कॉलेज विद्या का एक पवित्र तीर्थस्थल है। इस पवित्र स्थल पर आकर आप अपने जीवन को निखार सकते हैं और उन विभूतियों के क्लब में सम्मलित हो सकते हैं जिन्होंने अपने कार्य और जीवन शैली से पटना कॉलेज की प्रतिष्ठा को भूमंडलीय स्तर प्रदान किया है।

प्राचार्यों के नाम एवं कार्यकाल

क्र.सं.	प्राचार्यों के नाम	कार्य–अवधि
1.	जे. के. रोजर्स	1863
2.	जे. डब्ल्यू. मैक्क्रिण्डल	1866
3.	जे. के. रोजर्स	1866
4.	जे. डब्ल्यू. मक्क्रिण्डल	1867
5.	ए. एब्बैंक	1880
6.	ए. सी. एडवर्ड्स	1887
7.	सी. आर. विल्सन	1897
8.	ए. मैक्डोनल	1902
9.	एच. आर. जेम्स	1904
10.	सी. रसेल	1905
11.	एच. आर. जेम्स	1905
12.	सी. रसेल	1905
13.	वी. एच. जैक्सन	1908
14.	सी. लिटिल्स	1909
15.	सी. रसेल	1913
16.	वी. एच. जैक्सन	1914
17.	के. एस. कॉडवेल	1919
18.	ई. ए. हॉर्न	1920
19.	एच. लैम्बर्ट	1920
20.	एल. टिप्पिंग	1920
21.	डब्ल्यू. डब्ल्यू. टी. मूर	1921
22.	के. एस. कॉडवेल	1921
23.	एल. टिप्पिंग	1921
24.	डब्ल्यू. डब्ल्यू. टी. मूर	1922
25.	ई. ए. हॉर्न	1922
26.	वी. एच. जैक्सन	1924
27.	ई. ए. हॉर्न	1927
28.	जे. एस. आर्मर	1929
29.	एच. लैम्बर्ट	1929
30.	पी. ओ. हिव्टलॉक	1932
31.	एच. लैम्बर्ट	1933
32.	रामप्रसाद खोसला	1934
33.	एच. लैम्बर्ट	1934
34.	जे. एस. आर्मर	1935
35.	हासानन्द राधाकृष्ण बथेजा	1938
36.	सुविमल चन्द्र सरकार	1939
37.	हरि चाँद	1940
38.	सुविमल चन्द्र सरकार	1942
39.	हासानन्द राधाकृष्ण बथेजा	1942
40.	गोरखनाथ सिन्हा	1946
41.	किशोरी प्रसाद सिन्हा	1947
42.	कलीमुद्दीन अहमद	1952
43.	कालीकिंकर दत्त	1958
44.	इकबाल हुसैन	1960
45.	एम.जेड. आब्दीन	1961

क्र.सं.	प्राचार्यों के नाम	कार्य–अवधि
46.	परमेश्वर दयाल	20.01.1965 से 30.08.1966
47.	महेन्द्र प्रताप	31.08.1966 से 28.04.1971
48.	के. पी. अम्बष्ठ	29.04.1971 से 27.05.1971
49.	परमेश्वर दयाल	28.05.1971 से 31.07.1973
50.	एम. एम. सद्रुद्दीन	01.08.1973 से 08.09.1974
51.	दामोदर ठाकुर	09.09.1974 से 21.12.1974
52.	चन्द्रकान्त पाण्डेय	22.12.1974 से 19.03.1975
53.	के. एन. प्रसाद	20.03.1975 से 31.01.1979
54.	चेतकर झा	01.02.1979 से 31.10.1985
55.	वीरेन्द्र वर्मा	01.11.1985 से 05.12.1985
56.	वी. ए. नारायण	06.12.1985 से 23.05.1987
57.	वीरेन्द्र वर्मा	24.05.1987 से 07.06.1987
58.	एम. सिद्दीक	08.06.1987 से 27.11.1989
59.	जेड. अहमद	28.11.1989 से 08.01.1990
60.	एम. सिद्दीक	09.01.1990 से 31.01.1990
61.	जेड. अहमद	01.02.1990 से 20.07.1990
62.	एन. पी. वर्मा	21.07.1990 से 26.07.1990
63.	रामचन्द्र प्रसाद	27.07.1990 से 31.07.1991
64.	मुमताज अहमद	01.08.1991 से 30.04.1993
65.	बी. एन. सिंह	01.05.1993 से 22.11.1994
66.	एन. पी. वर्मा	23.11.1994 से 29.08.1996
67.	अमरेश पाठक	30.08.1996 से 31.08.1996
68.	एन. पी. वर्मा	01.09.1996 से 01.11.1996
69.	एल. एन. राम	02.11.1996 से 29.04.1997
70.	एन. पी. वर्मा	30.04.1997 से 31.01.2002
71.	आर.पी. सिंह 'राही'	01.02.2002 से 31.01.2003
72.	एस. एस. तुलस्यान	01.02.2003 से 30.06.2003
73.	स्नेहलता प्रसाद	01.07.2003 से 30.06.2005
74.	रण विजय कुमार	30.06.2005 से 09.09.2005
75.	पी. एन. तिवारी	10.09.2005 से 26.06.2006
76.	रण विजय कुमार	26.06.2006 से 23.08.2006
77.	स्नेहलता प्रसाद	29.08.2006 से 01.02.2007
78.	रण विजय कुमार	01.02.2007 से 21.11.2008
79.	रासबिहारी प्र. सिंह	21.11.2008 से 03.06.2009
80.	लालकेश्वर प्र. सिंह	03.06.2009 से 09.11.2012
81.	रासबिहारी प्र. सिंह	09.11.2012 से 31.01.2014
82.	जयंती सरकार	01.02.2014 से 12.02.2014
83.	नवल किशोर चौधरी	13.02.2014 से 30.06.2015
84.	रण विजय कुमार	01.07.2015 से 31.05.2016
85.	धर्मशीला प्रसाद	01.06.2016 से 31.12 2016
86.	सुरेन्द्र मोहन अशोक	1.1.2017 से अब तक

प्रवेश सम्बन्धी नियम

प्रवेश परीक्षा संबंधी नियम :–

1. स्नातक कला (सम्मान) प्रथम वर्ष 2017 में नामांकन प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए इन्टरमीडिएट एवं समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा। प्रवेश परीक्षा में इन्टरमीडिएट स्तर के कला संकाय के प्रमुख विषयों को प्राथमिकता देते हुए 60 प्रश्न एवं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न पूछे जायेंगे। दोनों मिलाकर 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रवेश परीक्षा के लिए कुल निर्धारित समय दो घण्टे होंगे।

2. यह प्रवेश परीक्षा पटना विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों जहा स्नातक कला (सम्मान) की पढ़ाई होती है के लिए केन्द्रीयकृत रूप से पटना विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी। इच्छुक छात्र पटना विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर प्रवेश परीक्षा के लिए आवश्यक ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा आवेदन के उपरांत कॉलेज के वेबसाईट से फार्म डाऊनलोड कर फार्म भर सकेंगे।

3. प्रवेश परीक्षा के उपरान्त पटना विश्वविद्यालय द्वारा मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी जिसे पटना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

4. **चयनित आवेदकों की मेधा–सूची को कॉलेज के वेबसाइट एवं सूचना पट्ट पर दे दी जायेगी। अलग से कोई सूचना डाक द्वारा या किसी अन्य माध्यम से नहीं दी जायेगी।**

5. 2017 वर्ष की इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा से पूर्व उत्तीर्ण हुए आवेदकों को नामांकन के समय इस आशय का एक शपथ–पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना होगा (नॉटरी द्वारा सत्यापित) कि इससे पूर्व उसने किसी कॉलेज में न तो अध्ययन किया है और न ही नामांकन कराया है।

नोट : पटना कॉलेज में रैगिंग एवं अन्य प्रकार की गैर–शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध है।

बी० ए० (ऑनर्स) पार्ट-I में स्थानों का विवरण

कुल सीट	– 600
सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत सीट	– 300
आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत सीट	– 300

आरक्षित सीटों का विवरण इस प्रकार है –

क्र.सं.	आरक्षित श्रेणी	कुल स्थान का प्रतिशत	कुल आरक्षित स्थान
(1)	अनुसूचित जाति	16	96
(2)	अनुसूचित जनजाति	01	06
(3)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुच्छेद –1)	18	108
(4)	पिछड़ा वर्ग (अनुच्छेद –2)	12	72
(5)	पिछड़े वर्ग की छात्राएँ	03	18

अन्य कोटा के अंतर्गत आरक्षित सीट

1.	ललित कला में विशिष्टता के आधार पर	– 5 सीट
2.	खेल–कूद में विशिष्टता के आधार पर	– 7 सीट
3.	पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकों के आश्रितों के लिए (मात्र पुत्र/अविवाहित पुत्री/पति/पत्नी)	– 5 %
4.	पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों के लिए (मात्र पुत्र/अविवाहित पुत्री/पति/पत्नी)	– 5 %
5.	सैनिक अधिकारियों के पुत्र/पुत्री के लिए	– 2 %
6.	निःशक्तों (Differently abled) आवेदकों के लिए	– 3 %

नोट :

1. आरक्षित कोटि के अन्तर्गत प्रवेश लेने वाले आवेदक को **प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी/जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र** ही जमा करना है और यही प्रमाण–पत्र मान्य होगा।
2. आरक्षण के उपरोक्त सभी नियम कोटिवार सम्मान विषय के चयन पर भी लागू होंगे।
3. इतिहास (सम्मान) में सीटों की अधिकतम संख्या 100 है।
4. भूगोल (सम्मान) में सीटों की अधिकतम संख्या 80 है।

5. अन्य विषयों में भी सीटों की अधिकतम संख्या 90 है।

कोटा (उपर्युक्त) सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश

(क) कोटा के अन्तर्गत जो आवेदक आवेदन करना चाहते हैं **उन्हें मूल आवेदन–पत्र के साथ कोटा आवेदन–पत्र भी ऑनलाइन भरना होगा।** मूल आवेदन फार्म की संख्या कोटा आवेदन फार्म में दर्ज करना आवश्यक है।

(ख) निःशक्तता के आधार पर नामांकन का दावा करने वाले आवेदक को अपने **जिले के सिविल सर्जन/मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना होगा जिसमें निःशक्तता का प्रतिशत उल्लेखित हो तथा सिविल सर्जन/मेडिकल बोर्ड द्वारा फोटो भी अभिप्रमाणित किया गया हो। 40% से कम निःशक्तता वाले आवेदक आवेदन न करें।

(ग) विदेशी नागरिक कोटा के आधार पर नामांकन के लिए **भारत में स्थित सम्बन्धित दूतावास की अनुशंसा/नामित** तथा **नागरिकता के प्रमाण–पत्र के साथ** जमा करना आवश्यक है।

(घ) रक्षा सेवा कोटा के अन्तर्गत नामांकन के लिए यह आवश्यक है कि यदि सेवानिवृत कर्मचारी हैं तो **जिला सैनिक कल्याण निदेशालय/जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र** तथा यदि कार्यरत रक्षा कर्मचारी हैं तो **नियंत्रक अधिकारी का प्रमाण–पत्र** जमा करना आवश्यक है।

(ङ) पटना विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री, पति–पत्नी के आवेदन पर तभी विचार किया जायेगा जब उनके **नियोजक द्वारा प्रदत्त–पत्र** यह प्रमाणित करता हो कि आवेदक उनका संबंधी है।

(च) खेल–कूद, ललित कला कोटा के लिए उन्हीं आवेदकों का चयन किया जायेगा जो **राज्य/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का प्रमाण–पत्र** जमा करेंगे।

(छ) एन० सी० सी० का लाभ उन्हीं आवेदकों को दिया जायेगा जिनका **प्रमाण–पत्र "B" या "C"** का हो।

(ज) प्रवेश के तुरन्त बाद घोषित कार्यक्रम के अनुसार परामर्शीय सत्र प्राचार्य द्वारा चलाया जायेगा। इसके बाद वर्ग प्रारम्भ हो जायेगा जिसमें 75% उपस्थिति अनिवार्य है।

पाठ्यक्रम के विषय

आवेदक छात्र/छात्रा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में 'ऑनर्स' एवं दो अनुपूरक विषयों को ले सकते हैं :–

1. संस्कृत, 2. हिन्दी, 3. अरबी, 4. फारसी, 5. उर्दू, 6. मैथिली, 7. बंगला, 8. अंग्रेजी, 9. इतिहास, 10. राजनीति विज्ञान, 11. अर्थशास्त्र, 12. दर्शनशास्त्र, 13. मनोविज्ञान, 14, समाजशास्त्र, 15. भूगोल, 16. गणित, 17. सांख्यिकी और 18. प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व।

विषयों का चयन करते समय छात्र–छात्राएं इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि वे जिस विषय से ऑनर्स लेते हैं उस विषय को अनुपूरक विषय के रूप में नहीं ले सकते।

नोट : प्रथम तथा द्वितीय खण्ड में अनुपूरक विषयों (Subsidiary) एवं रचना (Composition) में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

स्नातक कला (सम्मान) के पाठ्यक्रम का प्रारूपः–

परीक्षा का विषय	'सम्मान' विषय Honours Subjects	अनुपूरक विषय Subsidiary Subjects	रचना पत्र Composition Paper	सामान्य अध्ययन G.E.S.
पार्ट – 1 (प्रथम वर्ष)	दो पत्र पत्र 1 एवं पत्र 2	दो पत्र (दोनों विषयों के प्रथम पत्र)	एक पत्र हिन्दी – 100 अंक अथवा हिन्दी – 50 अंक एवं 50 अंक की अन्य भाषा	–––
पार्ट – 2 (द्वितीय वर्ष)	दो पत्र पत्र 3 एवं पत्र 4	दो पत्र (दानों विषयों के द्वितीय पत्र)	एक पत्र हिन्दी – 100 अंक अथवा हिन्दी – 50 अंक एवं 50 अंक की अन्य भाषा	–––
पार्ट – 3 (तृतीय वर्ष)	चार पत्र पत्र– 5,6,7 एवं 8	–––	–––	एक पत्र
कुल योग	**8 पत्र**	**4 पत्र**	**2 पत्र**	**1 पत्र**

ध्यातव्य – स्नातक कला (सम्मान) में कुल पन्द्रह पत्रों की परीक्षा होगी और प्रत्येक पत्र का मान 100 अंकों का होगा। प्रायोगिक विषयों में प्रायोगिक कार्य के लिए अंकों का विभाजन भिन्न रूप में होता है।

विषयों के सम्बन्ध में अन्य जानकारी अधोलिखित है :–

1. भाषा एवं साहित्य के अन्तर्गत विषयों में यथा– संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, मैथिली, बंगला (भाषा एवं साहित्य) में से कोई एक विषय ही लिया जा सकता है।

2. सांख्यिकी को सम्मान विषय लेने पर गणित को सहायक विषय के रूप में लेना अनिवार्य है। उसी तरह गणित को सम्मान विषय लेने पर सांख्यिकी को सहायक विषय के रूप में लेना अनिवार्य है।

3. अर्थशास्त्र को सम्मान विषय लेने पर सांख्यिकी या गणित में से एक को सहायक विषय के रूप में लेना अनिवार्य है।

4. केवल वे ही छात्र/छात्राएं गणित/सांख्यिकी में सम्मान पाठ्यक्रम चुन सकते हैं, जो इण्टर–स्तर पर गणित विषय के साथ उत्तीर्ण हुए हों।

5. भूगोल (सम्मान) विषय में उन छात्र/छात्राओं को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्होंने आई० ए० में भूगोल विषय से उत्तीर्णत्ता प्राप्त की है।

6. प्रवेशार्थी छात्र/छात्राएं स्नातक कला (सम्मान) के अन्तर्गत नीचे दिए गए (अ) और (ब) में से रचना का एक विषय चुन सकते हैं।

   (अ) हिन्दी रचना – 100 + 100 अंक (प्रथम एवं द्वितीय पार्ट में – दोनों वर्षों में इसकी परीक्षा होगी।)

   (ब) हिन्दी रचना–50 अंक + 50 अंक की कोई अन्य भाषा रचना, जैसे अंग्रेजी, मैथिली, उर्दू बंगला आदि।

   (ज) गैर भारतीय अधिवासी (Non-Indian Domicile) छात्र 'अ' अथवा 'ब' के बदले उच्चतर अंग्रेजी रचना (100 अंक) विषय ले सकते हैं।

   इस पाठ्यक्रम में 'ऑनर्स' के आठ पत्र, अनुपूरक/सहायक(Subsidiary) चार पत्र, रचना के दो पत्र तथा सामान्य पर्यावरणीय अध्ययन (General and Environmental Studies) के एक पत्र का अध्ययन अनिवार्य है।

विभागों की अवस्थिति

महाविद्यालय के विभिन्न विभाग निम्नांकित भवनों में अवस्थित हैं :–

सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रशासकीय भवन

इस भवन में अधोलिखित विभाग अवस्थित हैं –

निचली मंजिल – इसमें दर्शनशास्त्र विभाग, गणित विभाग, सांख्यिकी विभाग, बी०सी०ए० विभाग, प्राचार्य कक्ष, शिक्षक क्लब एवं कॉलेज कार्यालय अवस्थित है।

ऊपरी मंजिल – इसमें इतिहास विभाग, बंगला विभाग, समाजशास्त्र विभाग, अर्थशास्त्र विभाग एवं बी०बी०ए० विभाग तथा डॉ० सच्चिदानन्द सिन्हा सेमिनार हॉल अवस्थित है।

विज्ञान भवन (सायंस ब्लॉक)

पूर्वी भाग – इसके जमीनी तल एवं प्रथम मंजिल में स्नातक एवं स्नातकोत्तर भूगोल विभाग समन्वित रूप से अवस्थित है।

पश्चिमी भाग–इसके जमीनी तल पर स्नातक मनोविज्ञान विभाग एवं प्रथम तल पर स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग अवस्थित है।

भाषा भवन (लैंगुएज ब्लॉक)

इसका पूर्व नाम 'लैंगुएज ब्लॉक' था, अब इसका नामकरण **''महामहोपाध्याय पं. रामावतार शर्मा भाषा भवन''** किया गया है। इसमें अधोलिखित विभाग अवस्थित हैं :–

निचली मंजिल– अंग्रेजी विभाग, संस्कृत विभाग और राजनीति विज्ञान विभाग।

ऊपरी मंजिल– हिन्दी विभाग एवं बी०एम०सी० विभाग।

पटना कॉलेज नवीन भवन

प्रथम मंजिल– फारसी विभाग, उर्दू विभाग, मैथिली विभाग एवं अरबी विभाग।

प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व–विभाग

यह भाषाभवन के दक्षिण पश्चिम में अल्टेकर भवन में अवस्थित हैं। मूल रूप से यह स्नातकोत्तर विभाग परिसर है जिसमें स्नातक की कक्षा होती है।

शिक्षण–अवधि

सामान्यतः कॉलेज का शिक्षण अवधि पूर्वाह्न 9.30 से अपराह्न 4.30 बजे तक है। महाविद्यालय के सभी वर्ग इसी अवधि में चलते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विषय यथा – बी०बी०ए०, बी०सी०ए० एवं बी०एम०सी० की कक्षाएँ सुविधानुसार 9.30 बजे पूर्वाह्न से पहले भी आयोजित की जाती है। गणित और सांख्यिकी सम्मान के वर्ग सायंस कॉलेज परिसर में संबंधित विभाग में चलते हैं।

कार्यालय अवधि

पटना कॉलेज का कार्यालय अवधि 10.30 बजे (पूर्वाह्न) से 4.30 बजे (अपराह्न) तक है। शुल्क–संग्रह का कार्य घोषित तिथियों को 10.30 पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक होता है। कोई भी शुल्क ऑनलाईन/ बैंक–चालान/बैंक ड्राफ्ट के द्वारा ही चुकाया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में नकद भुगतान का प्रावधान नहीं है।

सूचना

विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित सूचनाएँ कॉलेज के मुख्य सूचना–पटों एवं संबंधित विभाग के सूचना – पटों पर दी जाती हैं। सूचना–पट सूचनाओं की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत है, इन्हें विद्यार्थियों को कॉलेज बन्द होने के पहले नित्य देख लेना चाहिए। किसी भी आदेश के पालन में विफल होने पर सूचना से अनभिज्ञता का बहाना नहीं सुना जाता है।

अनुशासन

1. कॉलेज के शिक्षकों को इस बात का पूरा अधिकार है कि वे कहीं भी और किसी भी समय छात्र–छात्राओं के अभद्र एवं उच्छृंखल व्यवहार पर रोक लगाएँ। अतः उनके आदेश का तत्क्षण पालन होता है। बिना परिचय पत्र के परिसर एवं क्लास रूम में छात्रों के प्रवेश पर रोक है।

2. छात्र–छात्राओं को घास पर से अथवा मैदान से होकर नहीं जाना चाहिए। उन्हें हमेशा पथ से या एब्बैंक छायापथ (Ewbank Shed) से आना–जाना चाहिए।

3. **कॉलेज के समय छायापथ (कोरीडोर), पथों तथा बरामदे में भीड़ लगाना, मटरगश्ती करना, सीमान्त गांधी क्रीड़ा मैदान की रेलिंग पर बैठना अथवा अन्य प्रकार से उधम मचाना सर्वथा वर्जित है। वर्ग न रहने पर विद्यार्थियों को सामान्य कक्ष (कॉमन रूम) अथवा वाचनालय में रहना चाहिए।**

4. साईकिल एवं स्कूटर, रखने के लिए अलग–अलग 'साईकिल–स्टैण्ड' एवं स्कूटर स्टैण्ड है। कार–पार्किंग के लिए भी अलग जगह चिन्हित है।

5. साईकिल–स्टैण्ड अथवा स्कूटर–स्टैण्ड में छात्र अपनी साईकिल/स्कूटर/मोटरसाईकिल ताला लगाकर ही रखें। ऐसा नहीं करने पर एक सौ रूपये का आर्थिक दण्ड भरना पड़ेगा।

6. साईकिल–स्टैण्ड अथवा स्कूटर–स्टैण्ड से बिना ताला लगाकर रखी गयी साईकिल/ स्कूटर/मोटर साईकिल के चोरी हो जाने पर कॉलेज पर उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

7. पटना कॉलेज के चालू सत्र के छात्रों को ही अपनी साईकिल/स्कूटर/मोटर साईकिल साईकिल–स्टैण्ड अथवा स्कूटर–स्टैण्ड में रखने की अनुमति है। अन्य कॉलेजों, संस्थानों के छात्रों को पटना कॉलेज के साईकिल–स्टैण्ड अथवा स्कूटर–स्टैण्ड में अपने वाहन रखने की अनुमति नहीं है।

8. छात्रों का साईकिल–स्टैण्ड अथवा स्कूटर–स्टैण्ड से अपनी साईकिल या स्कूटर अथवा मोटर साईकिल रखते समय और उसे वापस लेते समय वहाँ कार्यरत कर्मचारियों को अपना परिचय–पत्र (Identity Card) दिखलाना अनिवार्य है। परिचय–पत्र नहीं दिखलाने पर उनके उपर्युक्त वाहनों को साईकिल–स्टैण्ड अथवा स्कूटर–स्टैण्ड में नहीं रखने दिया जाएगा।

9. साईकिल में छात्र एक टोकन अवश्य लगायें तथा दूसरा टोकन अपने पास रखें। ऐसा नहीं करने पर उन्हें उनकी साईकिल या स्कूटर अथवा मोटर साईकिल 100/– रू० का दंड–भुगतान करने के बाद ही प्राचार्य के आदेश के उपरांत दिया जा सकेगा।

10. साईकिल–स्टैण्ड अथवा स्कूटर–स्टैण्ड में अपनी साईकिल/स्कूटर/मोटर साईकिल रखने के इच्छुक छात्रों को एक टोकन खो देने पर 100/– रू० का अर्थ–दण्ड जमा करना पड़ेगा। दोनों टोकन खो देने पर उनका वाहन (साईकिल/स्कूटर/मोटर साईकिल) प्राचार्य के लिखित आदेश निर्गत करने एवं नियमानुसार अर्थ–दण्ड के भुगतान के बाद ही उन्हें दिया जाएगा।

11. हिन्दी एवं अन्य भाषाओं के वर्गों में छात्र–छात्राओं को अपनी पाठ्यपुस्तकों के साथ उपस्थित होना चाहिए। शिक्षकों को इस नियम का उल्लंघन करनेवाले छात्रों को वर्ग से निष्कासित करने तथा उपस्थिति न देने का पूर्ण अधिकार है। बार–बार नियम भंग करनेवाले विद्यार्थियों के नाम अनुशासनिक कार्रवाई के लिए प्राचार्य के पास भेज दिये जायेंगे।

12. **यह आशा की जाती है कि छात्र–छात्रा भद्र परिधान में ही कॉलेज आयेंगे। अधिक भड़कीले अथवा अवांछनीय परिधान वर्जित है।**

13. कॉलेज प्रांगण पूर्ण रूपेण 'धूम्रपान वर्जित क्षेत्र' है। **विद्यार्थियों द्वारा धूम्रपान या किसी भी रूप में नशीली चीजें, तंबाकू आदि पर पूर्ण प्रतिबंध है। दोषी पाये जाने पर नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे।**

14. विद्यार्थियों का कार्यालय के अन्दर प्रवेश वर्जित है। अपने कार्यों के लिए वे सम्बद्ध खिड़कियों पर उपस्थित सहायकों की सहायता लें। विशेष कार्य परिस्थिति में प्रधान सहायक/सहायक से संपर्क किया जा सकता है।

15. बिना पूर्व–अनुमति के प्राचार्य–कक्ष में प्रवेश वर्जित है।

16. पटना विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत अथवा सामूहिक समस्याओं को लेकर सीधे कुलपति या प्रतिकुलपति के पास न जाएँ। पहले वे अपने से सम्बद्ध स्थानीय

अधिकारियों यथा छात्रावासों के अधीक्षक, अभिरक्षक, विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य से मिलकर अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त करने की चेष्टा करें और उनकी अनुमति प्राप्त कर ही कुलपति या प्रतिकुलपति से मिलने का प्रयास करें, जिससे अनुशासन और सद्भावना का वातावरण बना रहे।

17. छात्र या छात्राएं अपने किसी भी कार्य के लिए सीधे प्राचार्य से न मिलकर सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक या सहायक से मिलें जो उनके आवेदन–पत्र को अपनी टिप्पणी के साथ प्राचार्य के सम्मुख उनके आदेशार्थ या निर्णयार्थ प्रस्तुत करेंगे। प्राचार्य का निर्णय यथाशीघ्र छात्रों को सूचित कर दिया जायेगा। उदाहरण के लिए, छात्रावास सम्बन्धी कठिनाइयों के लिए छात्र–छात्रा अपने छात्रावास–अधीक्षक अथवा अभिरक्षक (वार्डेन) के माध्यम से अपनी समस्याएं उपस्थित करेंगे। इसी प्रकार से महाविद्यालय में (क) नामांकन कराने के लिए विभिन्न वर्गों के लिए नियुक्त प्रवेश–प्रभारी प्राध्यापकों से हीं उन्हें मिलना चाहिए। (ख) खेल–कूद सम्बन्धी सूचनाओं के लिए उन्हें क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष से मिलना चाहिए। (ग) एन.सी.सी. तथा एन.एस.एस. में प्रवेश पाने के लिए उन्हें उनके प्रभारी प्राध्यापकों से मिलना चाहिए।

18. कोई भी छात्र या छात्रा पूर्व–अनुमति के बिना विभागाध्यक्ष के कक्ष में प्रवेश नहीं करें।

19. कोई भी छात्र महाविद्यालय के प्रांगण या कक्षा में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लाएं।

20. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय की गरिमा को बनाये रखने के लिए उत्तम आचरण एवं शील का परिचय देंगे। वे महाविद्यालय की दीवारों, श्यामपट्ट अथवा सार्वजनिक महत्त्व के अन्य स्थानों पर कुछ भी (नारेबाजी या आपत्तिजनक लगनेवाले वक्तव्य आदि) नहीं लिखेंगे।

21. कॉलेज के छात्र–छात्राओं द्वारा किसी प्रकार की सूचना के लिए मुख्य प्रशासकीय भवन के दक्षिण–पूर्व में एक बोर्ड लगाया गया है।

22. सभी विद्यार्थी कॉलेज–प्रांगण में शान्ति–व्यवस्था एवं सद्भाव बनाये रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

23. कॉलेज प्रांगण में छात्र सदैव अपना परिचय पत्र साथ में रखें। समय–समय पर इसकी जांच की जाती है।

24. **किसी भी वर्ग की विश्वविद्यालीय परीक्षा में उसी छात्र/छात्रा को शामिल होने दिया जाएगा, जिनकी उपस्थिति वर्गों में 75 प्रतिशत होगी।**

25. जो विद्यार्थी एक माह तक बिना पूर्व अनुमति के वर्ग से अनुपस्थित रहेंगें, उनका नाम महाविद्यालय से काट दिया जा सकता है। ऐसा करने से पूर्व उस विद्यार्थी के अभिभावक को सूचना दे दी जाएगी।

26. छात्र–छात्राओं को इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि उपस्थिति का प्रतिशत महाविद्यालय की जांच (टेस्ट) परीक्षाओं में शामिल होना, विश्वविद्यालय–परीक्षाओं की तिथियों, उनके शुल्क लेने की तिथियों, पाठ्यक्रम आदि से सम्बद्ध निर्णय, विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाते हैं। महाविद्यालय के

प्राचार्य उन निर्णयों को केवल कार्यान्वित करते हैं। अतएव उन निर्णयों में किसी प्रकार के परिवर्तन या संशोधन का अधिकार मात्र विश्वविद्यालय को ही प्राप्त है। ऊपर से आये निर्णयों के परिपालन में छात्रों से पूरी सतर्कता एवं कर्त्तव्य–निष्ठा की अपेक्षा की जाती है।

ज्ञान मंदिर पुस्तकालय

1. कॉलेज के पुस्तकालय को **'ज्ञान मंदिर'** के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग पटना कॉलेज के छात्र–छात्राएं तथा शिक्षक कर सकते हैं।
2. महाविद्यालय के सदस्यों के अतिरिक्त पटना महाविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातकोत्तर विभागों के प्राध्यापक एवं उनके निर्देशन में शोध कार्य करनेवाले शोधार्थी भी प्राचार्य अथवा पुस्तकालय के प्रभारी प्राध्यापक से विशेष अनुमति प्राप्त कर पुस्तकालय में अध्ययन कर सकते हैं एवं नियमानुसार पुस्तकें ले जा सकते हैं, जिसके लिए उन लोगों को 100 रूपये जमानत के रूप में जमा करना पड़ता है तथा उन्हें उसी महाविद्यालय अथवा स्नातकोत्तर (कला) विभाग के किसी प्राध्यापक से अनुशंसा करानी पड़ती है।
3. भूतपूर्व छात्र–छात्राओं तथा बाहरी व्यक्तियों को पुस्तकालय के सक्षम कर्मचारियों की अनुमति के बिना पुस्तकालय में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है।
4. रविवार तथा अवकाश के दिनों को छोड़कर शेष अन्य दिन पुस्तकालय 10 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक खुला रहता है। बाहर ले जाने के लिए पुस्तकें 10.30 बजे पूर्वाह्न से 3.30 बजे अपराह्न तक ही दी जाती है।
5. पुस्तकालय के लिए प्राप्त पुस्तकों को अविलम्ब संग्रह–पंजिका में चढ़ा दिया जाता है तथा उन पर मुहर लगा दी जाती है। पुनः उन्हें विषयानुसार विषय–पुस्तक में चढ़ा दिया जाता है।
6. पुस्तकालय से ली गई पुस्तकें पुस्तकालय–प्रभारी को ही लौटायी जानी चाहिए, किसी भी स्थिति में दूसरे व्यक्ति को पुस्तकें हस्तान्तरित नहीं की जा सकती है। छद्म नाम से पुस्तकें लेनेवाले विद्यार्थी दंडित किये जाएंगे और उन्हें पुस्तकालय का उपयोग करने से वंचित कर दिया जाएगा।
7. यदि कोई पुस्तक खो जाए या नष्ट हो जाए तो उसके लेनेवाले को उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। यदि वह पुस्तक किसी 'सेट' की हो और उसकी क्षतिपूर्ति सम्भव नहीं हो तो पूरे 'सेट' का वर्त्तमान मूल्य एवं अन्य व्यय चुकाना होगा। यदि नष्ट पुस्तक की क्षतिपूर्ति उसकी अन्य प्रति देकर करना संभव नहीं हो तो पुस्तक के मूल्य की दुगनी रकम ली जाएगी।
8. पुस्तकों पर कुछ लिखने, किसी प्रकार का चिन्ह लगाने तथा उसकी पंक्तियों को रेखांकित करने से पुस्तकें नष्ट होती हैं। इस प्रकार पुस्तक को क्षति पहुँचाने का दायित्व पुस्तके लेनेवाले व्यक्ति पर होगा, यदि पुस्तक लेने के समय उसने वैसे चिन्हों की ओर इंगित नहीं कर दिया हो।
9. यदि यह प्रमाणित होता है कि किसी पुस्तक को लेनेवाले ने पुस्तकालय की पुस्तक के पन्ने फाड़े हैं, तो उसे उस पुस्तक की क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। इसके लिए पुस्तक की नई अथवा पुस्तक की छाया–प्रति तथा जिल्द कराने का मूल्य चुकाना होता है। साथ ही उसे कम–से–कम नियम अवधि के लिए पुस्तकें लेने की सुविधिओं से वंचित कर दिया जाता है।
10. जब तक किसी छात्र या छात्रा का नाम पुस्तकालय–पंजी में नहीं लिख लिया जाता है और उसे पुस्तकालय–पत्रक नहीं मिल जाता तब तक उसे पुस्तकें नहीं मिल सकती हैं।

    पंजीकरण के नियम निम्न हैं–

    (क) कॉलेज के छात्र–छात्राओं को पुस्तकालय में सदस्यता प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क

देकर सदस्यता–फार्म लेना पड़ता है।

(ख) उस फार्म को भरकर उन्हें अपना परिचय–पत्र (Identity Card), दो फोटो तथा निर्धारित शुल्क जमा करना पड़ता है।

(ग) प्रभारी–पुस्तकालयाध्यक्ष उसकी छानबीन कर उन्हें सदस्य बनाते हैं तथा उनको एक पुस्तकालय कार्ड देते हैं, जिसपर पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित उनका फोटो चिपका होता है।

(घ) पुस्तकालय कार्ड की एक प्रति को प्रमाणित फोटो के साथ पुस्ताकलय में रख लिया जाता है।

11. (क) पुस्तकालय से पुस्तक लेने के समय पुस्तकालय कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक होता है जिसमें अपेक्षित बातें उचित ढंग से लिख दी जाती है।

(ख) छात्र–छात्राओं द्वारा ली गई पुस्तक या पुस्तकों को निर्गम–पुस्तिका में अंकित कर दिया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने से उन्हें प्रति पुस्तक प्रतिदिन 2 रूपये के हिसाब से आर्थिक दंड का भुगतान करना पड़ता है।

(ग) पुस्तकें लौटाते समय पुस्तकालय–कार्ड प्रस्तुत करना जरूरी है। छात्र या छात्रा यह अवश्य देख लें कि पुस्तकालय–कार्ड पर प्रभारी पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा पुस्तक की वापसी की तिथि एवं हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है या नहीं, अन्यथा इसकी जिम्मेवारी छात्र–छात्राओं पर होगी।

12. पुस्तकालय–पत्रक के खो जाने पर छात्र को उसकी प्रतिलिपि के लिए 25 (पच्चीस) रूपये अर्थदण्ड के साथ उचित फार्म पर आवेदन–पत्र देना चाहिए। पत्रक का निर्धारित मूल्य तथा दो फोटो देने पर ही पत्रक की प्रतिलिपि दी जाती है, परन्तु खोये हुए पत्रक पर अंकित पुस्तकों का दायित्व उसी विद्यार्थी पर होता है, जिसके नाम पर वह पत्रक दिया गया होता है।

13. स्नातक–कक्षाओं (बी.ए.) के अनुपूरक के छात्र–छात्राओं को एक समय में दो से अधिक पुस्तकें नहीं दी जाती हैं। सम्मान–वर्ग तथा स्नातकोत्तर–वर्ग के छात्र–छात्राएँ एक साथ तीन पुस्तकें तक ले सकते हैं। वे सात दिनों से अधिक समय तक पुस्तकें अपने पास नहीं रख सकते हैं। यदि उससे अधिक दिनों तक के लिए उन पुस्तकों की आवश्यकता उनको हो तो उन्हें औपचारिक रूप से उन पुस्तकों को लौटा देने के बाद पुनः उनका निर्गमन कराया जा सकता है, किन्तु पुस्तकें उसी स्थिति में पुनः दी जाती हैं, जब अन्य छात्र–छात्राओं की ओर से उन पुस्तकों की मांग उस समय नहीं की गई हो।

14. निम्न प्रकार की पुस्तकें निर्गत नहीं की जाती हैं–

(क) सन्दर्भ–पुस्तकें

(ख) अत्यधिक मूल्य वाली, प्राचीन, कमजोर तथा दुष्प्राप्य पुस्तकें।

(ग) अध्ययन कक्ष की पुस्तकें।

15. यदि किसी कारणवश पुस्तकालयाध्यक्ष उचित समझें तो वह किसी भी पुस्तक का दिया जाना अस्वीकार कर सकते हैं।

16. **स्नातक (बी.ए.) वर्ग के छात्र–छात्राओं को पुस्तकालय से ली गई सारी पुस्तकें विश्वविद्यालय परीक्षा के फॉर्म भरने के पूर्व अवश्य लौटा देनी चाहिए अन्यथा वे अर्थ–दण्ड के भागी होंगे।**

17. अंतिम परीक्षाफल के प्रकाशित होने के पूर्व तक सभी छात्र–छात्राएं पुस्तकालय के अध्ययन–कक्ष का उपयोग अपना परिचय–पत्र दिखलाकर कर सकते हैं।

18. महाविद्यालय की अंतिम परीक्षा की समाप्ति तक सभी छात्र–छात्राएं पुस्तकालय से ली गई सभी पुस्तकें महाविद्यालय के कार्यालय से विश्वविद्यालय–परीक्षा का प्रवेश–पत्र लेने के पूर्व अवश्यक लौटा दें।

19. प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अन्त में पुस्तकालय 'स्टॉक–टेकिंग' के लिए अपेक्षित समय तक बन्द रहेगा। 'स्टॉक–टेकिंग' प्राचार्य के द्वारा नियुक्त अध्यापक करेंगे। इस अवधि में पुस्तकालय में किसी भी छात्र–छात्रा का प्रवेश स्थगित रहेगा।

20. 'स्टॉक–टेकिंग' के लिए निर्धारित समय के पूर्व सभी छात्र–छात्राओं की ली गई सारी पुस्तकों को पुस्तकालय में लौटा देना आवश्यक होगा। इस नियम का पालन नहीं करनेवाले छात्र–छात्रा को निर्धारित 10 रूपये प्रति पुस्तक प्रतिदिन के सामान्य अर्थ–दण्ड के अतिरिक्त 500 रूपये का विशेष अर्थ–दण्ड देना होगा।

21. पुस्तकालय को शांतिपूर्वक अध्ययन का स्थान बनाना आवश्यक है, वहाँ कोलाहल होने से कोई उपयोगी कार्य नहीं किया जा सकता। धूम्रपान करना तथा मेज पर पांव रखकर बैठना सर्वथा निषिद्ध है। इस नियम का उल्लंघन करनेवाले छात्र अध्ययन–कक्ष से बहिष्कृत कर दिए जाएंगे तथा दण्ड के भागी होंगे।

22. अधिकाधिक छात्र–छात्राओं को पुस्तकें उपलब्ध करना ही हमारा अभीष्ट है, अतः पुस्तकों के सहज वितरण में अनुचित रूप से बाधा उत्पन्न करनेवाले छात्र–छात्रा दंडित किये जाएंगे। इस प्रकार का अपराध करते पाये जानेवाले छात्र–छात्राएं प्रभारी प्राध्यापक के द्वारा निर्धारित अवधि तक पुस्तकालय का उपयोग करने से वंचित कर दिये जाएंगे तथा अर्थ–दंड अथवा किसी भी अन्य समरूप दंड के भागी होंगे।

23. (क) इस महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के प्राध्यापक पुस्तकालयाध्यक्ष के पास हस्ताक्षरित पुर्जा द्वारा पुस्तकें ले सकते हैं। पुस्तकें लौटा देने पर पुर्जा लौटा दिया जाएगा अथवा नष्ट कर दिया जाएगा। जब तक पुर्जा लौटा नहीं दिया जाता अथवा नष्ट नहीं कर दिया जाता तब तक ली गई पुस्तकों का सारा दायित्व पुस्तक लेनेवाले व्यक्ति पर ही होगा।

(ख) इस महाविद्यालय के प्राध्यापक एक समय में कुल 25 पुस्तकें तक ले सकते हैं। वे सामान्यतया एक महीने तक पुस्तक अपने पास रख सकते हैं। वे चाहें तो आगे एक पक्ष की अवधि के लिए पुस्तकों का पुनः निर्गमन करा सकते हैं।

24. आवधिक पत्र–पत्रिका प्रभाग जुलाई से मार्च तक 10 बजे पूर्वाह्न से लेकर 6 बजे शाम तक खुला रहेगा। सदस्य–गण अपना परिचय पत्र देकर इस संभाग का उपयोग कर सकते हैं।

25. बाहर से पुस्तकालय–कक्ष में कोई पुस्तक न तो लायी जा सकती है और न उस कक्ष से बिना निर्गत कराये कोई पुस्तक बाहर ले जायी जा सकती है।

पुस्तकीय अधिकोष (बुक–बैंक)

यह पुस्तकीय अधिकोष केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा संयोजित है। मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राशि से संगठित इस पुस्तकीय अधिकोष से महाविद्यालय मात्र के छात्रों को पाठ्य एवं सहयोगी पुस्तकें चालू सत्र में नियमानुसार निर्धारित लम्बी अवधि के लिए दी जाती हैं और अध्ययनोपरान्त उन्हें उन पुस्तकों को लौटा देना होता है। निर्धन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन–जाति के छात्र–छात्राओं को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं।

कॉलेज का 'पुस्तकीय अधिकोष' राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमों में एक है और इसका संबंध शिक्षा के क्षेत्र में देश की युवा पीढ़ी को ज्ञानवान बनाने से है। अपनी इस विशिष्ट प्रकृति के कारण ही यह छात्र–छात्राओं के बीच निरन्तर लोकप्रिय होता जा रहा है।

पटना कॉलेज में इस 'पुस्तकीय अधिकोष' की स्थापना यू.जी.सी. (U.G.C.) द्वारा पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त 30,000 रूपयों की राशि के प्रथम अनुदान से हुई थी। इसके पश्चात् समय–समय पर यू. जी.सी. और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों से तथा आन्तरिक स्त्रोतों से पुस्तकें खरीदी जाती रही हैं।

''पुस्तकीय अधिकोष'' से लाभान्वित होनेवाले विद्यार्थियों की संख्या काफी है। परन्तु इसके लिए अपेक्षित साधन कम प्रतीत होते हैं। आवश्यकताओं की तुलना में अब तक केन्द्रीय एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान–राशि बहुत अप्रयाप्त सिद्ध हुई है।

सेमिनार–पुस्तकालय

महाविद्यालय के अपने पुस्तकालय का एक अंग हॉल–पुस्तकालय है, जिसे **सेमिनार–पुस्तकालय** के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक विभाग में इस तरह का पुस्तकालय है। इससे उस विभाग के सम्मान–वर्ग के छात्र–छात्राओं को आवश्यक पुस्तकें स्वाध्याय के लिए दी जाती है।

प्रयोगशालाएँ

इस महाविद्यालय के भूगोल एवं मनोविज्ञान विभागों में प्रयोगशालाएं हैं। वे अच्छे उपस्करों से परिपूर्ण तथा व्यवस्थित हैं।

प्राध्यापक–परिषद्

यह महाविद्यालय के प्राध्यापकों की परिषद् है। महाविद्यालय के प्राधानाचार्य इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। एक प्राध्यापक इसके सचिव एवं सभी शिक्षक–गण इसके सदस्य होते हैं। अवकाश की अवधि को छोड़कर प्रत्येक महीने में इसकी बैठकें हुआ करती हैं, जिनमें महाविद्यालय की महत्त्वपूर्ण आकस्मिक समस्याओं पर विचार–विमर्श किया जाता है।

यात्रा से सम्बद्ध छूट (कॉन्सेशन)

रेल–यात्रा से सम्बद्ध कॉन्सेशन–टिकट पाने के लिए महाविद्यालय–कार्यालय में 'कॉन्सेशन–फार्म' प्राचार्य या उनके द्वारा प्राधिकृत (authorised) किसी प्राध्यापक द्वारा अग्रसारित करवाकर रेलवे के दानापुर–कार्यालय से तत्सम्बन्धी आदेश प्राप्त करना पड़ता है। यह सुविधा छात्र–छात्राओं को केवल ग्रीष्मावकाश तथा पूजा की छुट्टियों में महाविद्यालय से अपने घर आने–जाने के लिए ही उपलब्ध हुआ करती हैं। इससे सम्बद्ध सभी आवेदन–पत्र प्राचार्य को ही सम्बोधित होने चाहिए।

चिकित्सा की सुविधा

पटना विश्वविद्यालय के केन्द्रीय औषधालय में, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, छात्र–छात्राओं तथा अन्य कर्मचारियों को उपचार की सुवधिाएं निःशुल्क प्राप्त होती है। यहाँ व्याधिकीय जांच–सेवा भी उपलब्ध है। समय–समय पर छात्र–छात्राओं की स्वास्थ्य–परीक्षा की जाती है। इस केन्द्रीय औषधालय की स्थापना 1956 ई० में हुई थी। नवागन्तुक विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे महाविद्यालय में प्रवेश उपरान्त केन्द्रीय औषधालय का लाभ पाने के लिए स्वास्थ्य कार्ड (Health Card) बनवा लें।

पटना कॉलेज ने विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम परिचय–पत्र निर्गमित किया है, जिसमें सभी धारकों के वैयक्तिक रक्त–ग्रूप का उल्लेख है।

पाठ्येत्तर कार्यकलाप

छात्र सामान्य कक्ष एवं केन्द्रीय समिति

छात्र सामान्य कक्ष (Boy's Common Room) की केन्द्रीय समिति महाविद्यालय की समवेत एकता की प्रतीक है। यह महाविद्यालय तथा कला–संकाय के सभी विभागों के विविध पाठ्येत्तर कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करती है। इस समिति के प्रतिनिधि छात्र सामान्य कक्ष के सचिव तथा उपसचिव एवं महाविद्यालय की विभिन्न परिषदों के सचिव रहते हैं।

छात्र सामान्य कक्ष में अनेक अन्तः कक्षीय (इनडोर) क्रीडा–सामग्रियाँ व्यवस्थित हैं।

केन्द्रीय समिति प्रतिवर्ष अन्तः कक्ष (इनडोर) क्रीड़ा का आयोजन करती है, जिसमें 'ऑल इंडिया गोरखनाथ टेबुल टेनिस', 'कलीमुद्दीन कप टेबुल–टेनिस' आदि की प्रतियोगिताएँ उल्लेखनीय हैं। समिति अखिल भारतीय स्तर पर वाद्–विवाद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करती हैं। प्रतिवर्ष टेबुल–टेनिस, कैरम, शतरंज, ब्रिज इत्यादि खेलों की अन्तर्वगीय प्रतियोगिताएँ भी होती हैं।

'सामान्य कक्ष एवं केन्द्रीय समिति' के शिक्षक सदस्य प्राचार्य द्वारा मनोनीत होते हैं। इसमें छात्रों के भी प्रतिनिधि रहते हैं, जिनमें एक इसका सचिव होता है, जिसका चयन समिति प्राचार्य की स्वीकृति से करती है।

छात्रा सामान्य कक्ष (Girl's Common Room)

छात्राओं के लिए अलग सामान्य कक्ष हैं। उनमें अन्तःकक्षीय (इनडोर) क्रीड़ा–सामग्रियाँ रहती हैं। 'छात्रा–सामान्य कक्ष' की अध्यक्ष कोई वरिष्ठ प्राध्यापिका होती हैं, जो छात्र सामान्य कक्ष की केन्द्रीय समिति की भी सदस्य होती हैं।

क्रीड़ा–समिति

महाविद्यालय तथा कला–संकाय के स्नातकोत्तर विभागों के पाठ्येत्तर क्रिया–कलापों में 'क्रीड़ा–समिति' की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। महाविद्यालय–प्रांगण में वर्ष भर में खेल–कूद से सम्बद्ध जितने आयोजन होते हैं, वे सभी इसी समिति के तत्वाधान में होते हैं। समिति के एक अध्यक्ष, दो

उपाध्यक्ष एवं कुछ सदस्य होते हैं। ये सभी प्राचार्य द्वारा मनोनीत होते हैं। यह समिति एक सौ साल से भी अधिक पुरानी है। इसका इतिहास स्वर्णिम रहा है और इसने अनेक प्रतिष्ठाएं प्राप्त की हैं।

स्थानीय तथा प्रादेशिक खेल–कूद प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय के विविध क्रीड़ा–संघ भाग लेते हैं। पटना महाविद्यालय समिति के सदस्य विश्वविद्यालय के विभिन्न क्रीड़ा–संघों से चुने जा सकते हैं। पिछले अनेक वर्षों से विश्वविद्यालय की विभिन्न क्रीड़ा–समितियों में पटना कॉलेज के खिलाड़ियों का प्रमुख स्थान रहा है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर
(एन० सी० सी०)

महाविद्यालय में सैन्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था के तहत एन० सी० सी० इकाई की स्थापना की गई जिसका इतिहास 50 वर्षों से भी पुराना है। यहाँ एन० सी० सी० की दो कम्पनी 1/11 एवं 2/11 के अंतर्गत 75–75, कुल 150 सीटें हैं।

राष्ट्रीय सेवा–योजना
(एन० एस० एस०)

'राष्ट्रीय सेवा योजना' का प्रारंभ 13 फरवरी 1973 को किया गया था। जो छात्र एन० सी० सी० या खेल–कूद में भाग लेना नहीं चाहते हैं तथा जिनकी अभिरूचि समाज–सेवा में सम्मिलित होने की होती है वे इस योजना से जुड़ते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को निर्माण–कार्य में लगाना है। प्रत्येक सत्र में इस योजना के अन्तर्गत 120 घंटे कार्य करना होता है। महाविद्यालय में एन० एस० एस० की दो इकाई है।

पटना कॉलेज एल्युमनी एसोसियेशन
(Patna College Alumni Association)

इसके संरक्षक पटना कॉलेज के प्राचार्य होते हैं। प्रो. (डॉ.) यूवराजदेव प्रसाद, पूर्व विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग एवं संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय, पटना विश्वविद्यालय इसके मानद सचिव हैं।

रसेल व्याख्यान माला

इस व्याख्यान–माला की शुरूआत 1924 ई० में पटना कॉलेज के विख्यात शिक्षक तथा प्राचार्य कैप्टन चार्ल्स रसेल (1905 ई० – 1914 ई०) की स्मृति में की गयी। वे अर्थशास्त्र, इतिहास एवं संस्कृत के विद्वान थे। 1914 ई० में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के उपरान्त वे कॉलेज सेवा से अवकाश लेकर ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। तदुपरान्त 22 नवम्बर 1917 ई० को फिलिस्तीन के नवी समुदल नामक स्थान पर लड़ते हुए मारे गए। उनकी बहुमुखी प्रतिभा एवं पटना कॉलेज में उनके योगदान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि उनकी स्मृति में एक व्याख्यान–माला शुरू की जाय। इस व्याख्यान–माला के अंतर्गत अब तक चौदह व्याख्यान का आयोजन हो चुका है। व्याख्यान देने वाले विद्वानों में प्रमुख रूप से

ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी के प्रोफेसर आर० कुपलैंड (1924 ई०), स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी० राजगोपालाचारी (1953 ई०), केन्द्रीय मंत्री हुमायूँ कबीर (1961 ई०), दिल्ली के उपराज्यपाल डॉ० आदित्यनाथ झा (1970 ई०), भारत के पूर्व गृह सचिव श्री बी० पी० सिंह (2012 ई०), हिन्दी के विख्यात समालोचक प्रो० नामवर सिंह इत्यादि शामिल हैं।

पटना कॉलेज

प्रो. (डॉ.) धर्मशीला प्रसाद
प्राचार्य

फोनः 0612–2671589 (कार्यालय)
मोबाईलः 9835438983

शिक्षक–वृन्द

हिन्दी विभाग

1.	प्रो. तरुण कुमार	फोनः 0612.2684715
3.	डॉ. कुमारी विभाग	मो. : 9430556963

संस्कृत विभाग

1.	प्रो. अखिलानन्द त्रिपाठी (अध्यक्ष)	मो. : 9709611198

अंग्रेजी विभाग

1.	डॉ. इला सिन्हा (अध्यक्ष)	मो. : 9334313803
2.	प्रो. अरुण कुमार	मो. : 9931443866
3.	डॉ. संजय कुमार सिन्हा	मो. : 9431493845
4.	डॉ. मो. एम. रहमान	मो. : 9955267777

फारसी विभाग

1.	डॉ. मो. सादिक हुसैन (अध्यक्ष)	मो. : 9234261575
2.	डॉ. सूफिया नसरीन	मो. : 9097377708

मैथिली विभाग

1.	डॉ. सत्यनारायण मेहता (अध्यक्ष)	मो. : 9470838133

मनोविज्ञान विभाग

1.	डॉ. मो. इफ्तिखार हुसैन (अध्यक्ष)	मो. : 9934082701

भूगोल विभाग

1.	डॉ. मो. नाजिम (अध्यक्ष)	मो. : 9835450171
2.	डॉ. शांता रानी मल्तियार	मो. : 9334299067
3.	डॉ. मनोज कुमार सिन्हा	मो. : 9431090971

राजनीतिशास्त्र विभाग

1.	डॉ. शैलेन्द्र कुमार (अध्यक्ष)	मो. : 9931725836
2.	डॉ. दीप्ति कुमारी	मो. : 9279073817

इतिहास विभाग

1.	डॉ. सुरेन्द्र कुमार (अध्यक्ष)	मो. : 9835463960

अर्थशास्त्र विभाग

1.	प्रो. दुर्गानन्द झा (अध्यक्ष)	मो. : 8757813511
2.	डॉ. वीरेन्द्र कुमार दास	मो. : 9431459379

दर्शनशास्त्र विभाग

1.	डॉ. किरण कुमारी	मो. : 9431853471

समाजशास्त्र विभाग

1.	डॉ. रणधीर कुमार सिंह (अध्यक्ष)	मो. : 9546991571
2.	डॉ. फजल अहमद	मो. : 9334107544
3.	डॉ. विजय कुमार	मो. : 9470414719

प्राचार्य का कार्यालय

प्राचार्य	–	प्रो. (डॉ.) एस. एम. अशोक
कोषाधीक्षक	–	डॉ. मनोज कुमार सिन्हा

कार्यालय सहायक

1. श्री अरूण कुमार झा	–	प्रधान सहायक
2. श्री अजय कुमार	–	लेखापाल
3. मो. सैयद अली अब्बास	–	कोषपाल
4. श्री ब्रज किशोर	–	उच्चवर्गीय लिपिक
5. श्री विजय सिंह	–	उच्चवर्गीय लिपिक
6. मो. जमाल	–	उच्चवर्गीय लिपिक
7. मो. आसिफ इमाम	–	उच्चवर्गीय लिपिक
8. श्री अमिष कुमार	–	निम्नवर्गीय लिपिक
9. मो. अरमानुल इस्लाम	–	निम्नवर्गीय लिपिक

पुस्तकालय के कर्मचारी

1. श्री राम सकल पासवान	–	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
2. श्रीमती दानी कुमारी	–	शॉर्टर

यंत्र–रक्षक

1. श्री सुभाष कुमार झा – मनोविज्ञान विभाग
2. श्री त्रिपुरारी सिंह – भूगोल विभाग

महाविद्यालय की प्रमुख समितियाँ, उनके प्रभारी एवं सदस्य

नामांकन समिति

डॉ. रणधीर कुमार सिंह
डॉ. इफ्तेखार हुसैन
डॉ. मनोज कुमार सिन्हा
डॉ. किरण कुमारी
डॉ. वीरेन्द्र कुमार दास
डॉ. मो. महफुर्जुर रहमान

परीक्षा–समिति

(Examination Committee)

डॉ. सुरेन्द्र कुमार – परीक्षा नियंत्रक
डॉ. विजय कुमार – सहायक परीक्षा नियंत्रक
डॉ. सत्यनारायण मेहता – सहायक परीक्षा नियंत्रक

क्रीड़ा–समिति

(Atheletic Committee)

डॉ. अमरनाथ सिंह – अध्यक्ष
डॉ. दुर्गानन्द झा – सदस्य
डॉ. शरदेन्दु कुमार – सदस्य
डॉ. शैलेन्द्र कुमार – सदस्य
डॉ. मो. इफ्तेखार हुसैन – सदस्य
डॉ. विजय कुमार – सदस्य
डॉ. मनोज कुमार सिन्हा – सदस्य
डॉ. मो सादिक हुसैन – सदस्य
डॉ. वीरेन्द्र कुमार दास – सदस्य

भवन समिति

प्रो. (डॉ.) दुर्गानन्द झा – संयोजक
अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग

अनुशासन समिति

प्रो. (डॉ.) शरदेन्दु कुमार – संयोजक
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग

विकास समिति

प्रो. (डॉ.) प्रकाश चन्द वर्मा – संयोजक
प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग

छात्रावास समिति

डॉ. रणधीर कुमार सिंह – संयोजक
अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग

क्रय समिति

डॉ. इफ्तेखार हुसैन – संयोजक
अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग

वाद–विवाद एवं संस्कृति समिति

डॉ. इला सिन्हा – संयोजक
अध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग

पुस्तकालय समिति

डॉ. सुफिया नसरीन – संयोजक
सह–प्राध्यापक, फारसी विभाग